शo नo - 6097
अनुक्रमांक - 52
शीट - 3
फीस - 7-20

न्यायालय उप जिलाधिकारी धनघटा संत कबीर नगर

मुन्नापाल कैलाशी देवी महाविद्यालय कोदवट जरिए प्रबन्धक ब्रजपाल पुत्र मुन्ना पाल साकिन कोदवट बनाम - अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति कोदवट व अन्य।

वाद संख्या 05/2012 अन्तर्गत धारा - 143 जमींदारी विनाश अधिनियम - मौजा - कोदवट तप्पा सरहद परगना मगहर पूरब तहसील धनघटा जिला - संत कबीर नगर।

नकल आदेश दिनांक - 22-12-12।

नोट - नकल आदेश दिनांक - 22-12-12, की छाया प्रति संलग्न है।

राजस्व अभिलेखागार
कार्यालय
जिलाधिकारी
खलीलाबाद-संत कबीर नगर

न्यायालय उपजिलाधिकारी,धनघटा संतकबीरनगर।

वाद संख्या 04/2012

मुन्नापाल ,कैलाशीदेवी महाविद्यालय कोदवट जरिए प्रबन्धक श्रवणपाल पुत्र मुन्ना पाल साकिन कोदवट

वादसंख्या..../अन्तर्गत धारा 143ज0वि0अधि0 मौजा ग्राम कोदवट,तप्पा सतहरा, परगना महुलीपूरब,तहसील धनघटा,संतकबीरनगर

बनाम

अध्यक्ष,भूमि प्रबन्धक समिति कोदवट व अन्य

आदेश

प्रश्नगत वाद श्री श्रवण पाल प्रबन्धक मुन्नापाल,कैलाशीदेवी महाविद्यालय कोदवट द्वारा ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत इस कथन के साथ दाखिल किया गया है कि ग्राम कोदवट,तप्पा सतहरा स्थित आराजी संख्या402,424 व397 जरिए बैनामा प्राप्त किया है और बैनामे के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित हो चुका है। बैनामेशुदा भूमि पर विद्यालय का भवन बना हुआ है ।भूमि जोती –बोई नहीं जा रही है।अन्त में अनुरोध किया है कि आराजी निजाई के 1.039हे0रकबे को अकृषिक घोषित किया जाय।

श्री श्रवण पाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धनघटा से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार धनघटा ने रा0नि0की जांच आख्या दिनांक17 12.12 को सस्तुति सहित अग्रसारित किया ।रा0नि0ने अपने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वादी श्रवण पाल ने ग्राम कोदवट स्थित आराजी संख्या 397/0.472में से 0. 076,आराजी संख्या 424/0.341में से0.171व आराजी संख्या 402/1.230में से 0.792 रकबे का बैनामा लिया है।बैनामाशुदा भूमि में मुन्नापाल ,कैलाशीदेवी महाविद्यालय कोदवट का भवन व चहरदीवारी निर्मित है। आराजी निजाई में कृषि कार्य नहीं हो रहा है।

मैंनें पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार धनघटा की जांच आख्या व अन्य साक्ष्यों का परिशीलन किया । पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि ग्राम कोदवट स्थित आराजी संख्या 397/0.472में से 0.076,आराजी संख्या 424/0.341में से 0.171 आराजी संख्या 402/1.230में से 0.792 कुल 1.039हे0भूमि बतौर बैनामा श्रवणपाल

द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् उसमें बतौर महाविद्यालय का भवन व चहरदीवारी बनाकर काबिज है। आराजी निजाई जोती बोई नही जा रही है,अस्तु आराजी निजाई के उक्त रकबे को कृषि से इतर घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः ग्राम कोदवट,तप्पा सतहरा,परगना महुलीपूरब, तहसील धनघटा स्थित आराजी संख्या 397/0.472में से 0.076,आराजी संख्या 424/0.341में से0.171व आराजी संख्या 402/1.230में से 0.792 कुल 1.039हे0मालगुजारी 20.67 रूपया कृषिएत्तर कार्यो हेतु घोषित किया जाता है।आदेश का अनुपालन जब भी नई खतौनी निर्मित हो विवरण के कालम में अंकित किया जावे। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक धनघटा को निःशुल्क निबन्धन हेतु भेजी जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफतर हो।

उपजिलाधिकारी,

धनघटा,संतकबीरनगर।

प्रमाणित सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अभिलेख पाल

संत कबीर नगर

तारीख दाखिला...

तारीख तैयारी...

तारीख वापसी...